

दिनांक	आज्ञा पत्र	कोष
--------	------------	-----

6.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....29.11.23
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक.....12.12.23
को पेश हो।

12.12.23

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेसपोर्ट की तामील शेष है
इस हेतु अपीलान्त शेष रेसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। ताकि
अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें
पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 26.12.23 को
पेश हों।

26.12.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....29.12.23
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक.....8.1.24
को पेश हो।

8.1.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....29.12.23
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 6.1.24
को पेश हो।

6.1.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्टस के
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली
एड / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक
22.1.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

22.1.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेजी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति बका
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फासल शुमार होकर
से कम होकर बंद तरीक़े तामील दाखिल दफ़तर हो।

शाशांका नीरख जारी
17.5.2024



महोदय अपीलान्त एवं
पदेन राजस्व अधिकारी
अपीलान्त (केस नम्बर)